भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 10

(जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया जाना है)

गैर-परिचालित कंपनियों को हटाना

10. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः
श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्री शंकर लालवानीः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री नारायण तातू राणेः
श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः
श्री अनुराग शर्माः
श्री चंदन चौहानः
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः
श्री गजेन्द्र सिंह पटेलः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावतः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री खगेन मुर्मुः
श्री इमरान मसूदः
श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): क्या यह सच है कि पूरे भारत में कई कंपनियों/छद्म कंपनियों को बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान देश भर में हटाई गई कंपनियों की कुल संख्या कितनी है और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ख): सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि वास्तविक कंपनियों का गलती से पंजीकरण रद्द नहीं हो;
(ग): क्या सरकार स्पष्टता और प्रवर्तन में सुधार के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत छद्म कंपनियों की औपचारिक परिभाषा लागू करने की योजना बना रही है;

(घ): अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए गैर-कार्यात्मक फर्मों के दुरुपयोग को रोकने और पंजीकरण/अपंजीकरण को सरल बनाने तथा छोटी कंपनियों पर विनियामक बोझ कम करने हेतु निगरानी और अनुपालन तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ): वित्तीय धोखाधड़ी की जांच में एसएफआईओ की भूमिका क्या है और बेहतर प्रवर्तन के लिए एमसीए21 वी3 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में 'शेल कंपनी' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, समय-समय पर, यह मंत्रालय धारा 248(1) के अंतर्गत ऐसी कंपनियों को हटाने का अभियान चलाता है, जो पिछले दो वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही हैं और जिन्होंने अधिनियम की धारा 455 के अंतर्गत निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इस अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है या ज्ञापन के अभिदाताओं ने कंपनी के निगमन के समय देय राशि का भुगतान नहीं किया है और अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर इस आशय की घोषणा फाइल नहीं की गई है। अंतिम बार कंपनी हटाने का अभियान वर्ष 2022-23 में चलाया गया था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत, ऐसी कंपनियाँ जो अपनी सभी देनदारियों को चुकाने के बाद स्वेच्छा से कंपनी रजिस्ट्रार से अपना नाम हटवाना चाहती हैं, उनका नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत हटा दिया जाता है।

पिछले 2 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत हटाई गई कंपनियों की राज्यवार संख्या, जिसमें सहारनपुर, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, क्रमशः अनुलग्नक 'क' और 'ख' में दी गई है।

(ख): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1) के तहत निर्धारित किए जाने के अनुसार कंपनियों को हटाने की उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा विघटन के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 252 के अनुसार अपने नाम की बहाली के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में अपील कर सकता है।

(ग): वर्तमान में सरकार के समक्ष 'शेल कम्पनियों' को परिभाषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कंपनियों के प्रबंधन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। यह प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, निदेशक मंडल और शेयरधारकों के माध्यम से कंपनियों के प्रबंधन के लिए जवाबदेही प्रदान करता है। अधिनियम और नियमों के अनुसार कंपनियों को निर्धारित प्रपत्र में खाता बही, विभिन्न विवरणी और रजिस्टर आदि बनाए रखने और उन्हें अपने पंजीकृत कार्यालयों में रखने की आवश्यकता होती है।

अधिनियम के तहत लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन भी अनिवार्य किया गया है। खाता बही का स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को रजिस्ट्रार के पास विभिन्न दस्तावेज, प्रस्तावों की प्रतियां, विवरण आदि फाइल करने की आवश्यकता होती है।

इसके अतिरिक्त, व्यापार करने की सुगमता के उपाय के रूप में, मंत्रालय ने निगमन प्रक्रिया में एकरूपता प्रदान करने के लिए कंपनियों और एलएलपी के निगमन के लिए एक केन्द्रीय पंजीकरण कंपनी (सीआरसी) की स्थापना की है।

लघु कंपनी की परिभाषा में संशोधन किया गया है और अब लघु कंपनी की प्रदत्त पूंजी की प्रारंभिक सीमा 2.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.00 करोड़ रुपये और टर्नओवर 20.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40.00 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार, लघु एलएलपी की अवधारणा शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अनुपालन की लागत कम करने के लिए कम अनुपालन और कम शुल्क लागू होगा।

भारत में 'कारोबार की सुगमता' को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत 01.05.2023 से कंपनियों की स्वैच्छिक स्ट्राइक ऑफ प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक मोड में केंद्रीकृत करने और गति देने के लिए त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की भी स्थापना की गई है। मंत्रालय ने 27.08.2024 से एलएलपी को हटाने से संबंधित ई-प्ररूप के प्रसंस्करण के लिए सीपीएसीई को सशक्त बनाकर सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) को हटाने को भी केंद्रीकृत किया है।

(ङ): गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को अधिनियम की धारा 212 के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी कंपनी के मामलों की जांच कार्य सौंपा जाता है, यदि यह राय बनती है कि ऐसी जांच आवश्यक है:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 208 के अंतर्गत रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट;
ख) ऐसी जाँच के लिए कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव;
ग) जनहित; या
घ) केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग का अनुरोध।

एसएफआईओ में लेखा, फोरेंसिक ऑडिटिंग, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, पूंजी बाजार, बैंकिंग और कराधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

कंपनियों और एलएलपी फाइलिंग से संबंधित ई-प्ररूप 14.07.2025 से एमसीए-21 संस्करण 2 से संस्करण 3 में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अधिनियम के तहत किए गए अपराधों से संबंधित मामलों के त्वरित और पारदर्शी निर्णय के लिए, एक प्रौद्योगिकी-संचालित निर्णयन तंत्र स्थापित करने हेतु, सितंबर 2024 में एमसीए21 के अंतर्गत ई-निर्णयन मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया था।

*****

अनुलग्नक-क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत हटाई गई कंपनियों की संख्या :

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कंपनियों की संख्या			
		वित्तीय वर्ष 2023-2024	वित्तीय वर्ष 2024- 2025	वित्तीय वर्ष 2025-2026 [16 जुलाई 2025 तक]	कुल योग
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	3	2	11
2.	आंध्र प्रदेश	400	224	136	760
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	2	2	8
4.	असम	90	86	34	210
5.	बिहार	185	176	97	458
6.	चंडीगढ़	51	89	44	184
7.	छत्तीसगढ़	67	97	57	221
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	13	7	2	22
9.	दिल्ली	2,151	2,372	1,350	5,873
10.	गोवा	78	72	31	181
11.	गुजरात	665	891	541	2,097
12.	हरियाणा	585	732	360	1,677
13.	हिमाचल प्रदेश	27	70	29	126
14.	जम्मू और कश्मीर	29	30	24	83
15.	झारखंड	185	92	55	332

16.	कर्नाटक	2,317	1,615	871	4,803
17.	केरल	459	508	246	1,213
18.	लद्दाख	0	0	1	1
19.	लक्षद्वीप	2	0	0	2
20.	मध्य प्रदेश	446	358	219	1,023
21.	महाराष्ट्र	3,276	3,290	1,763	8,329
22.	मणिपुर	4	6	3	13
23.	मेघालय	7	2	4	13
24.	मिजोरम	2	0	2	4
25.	नगालैंड	6	3	2	11
26.	ओडिशा	81	159	71	311
27.	पुदुचेरी	18	22	12	52
28.	पंजाब	125	211	117	453
29.	राजस्थान	426	572	293	1,291
30.	तमिलनाडु	964	1,179	628	2,771
31.	तेलंगाना	1,763	860	463	3,086
32.	त्रिपुरा	4	8	4	16
33.	उत्तर प्रदेश	1,234	1,046	558	2,838
34.	उत्तराखंड	73	133	54	260
35.	पश्चिम बंगाल	721	922	573	2,216
	कुल योग	**16,464**	**15,837**	**8,648**	**40,949**

अनुलग्नक-ख

सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत हटाई गई कंपनियों की संख्या :

वित्तीय वर्ष	**हटाई गई कंपनियों की संख्या**
2023-24	**10**
2024-25	**12**
2025-26 से 16.07.2025 तक	**1**
कुल	**23**